स्थापना दिवस : 1 मई — शिक्षण दिवस – 1 नवम्बर

क्रमांक — मूल्य : 250=00

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय

रायपुर (छत्तीसगढ़)

स्थापना – 1964

www.prsu.ac.in

www.rsuniv-results.com

विश्वविद्यालय–अध्ययनशालाओं के लिए

विवरण – पत्रिका

2010 - 11

प्रकाशक
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छत्तीसगढ़) 492010

विश्वविद्यालय का कुल–चिन्ह

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुल–चिन्ह के मध्य भाग में रायपुर जिले में स्थित राजिम के विख्यात राजीवलोचन मंदिर का संपूर्ण शिखर है, जो छत्तीसगढ़ (प्राचीन दक्षिण कोसल) की वैभवपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर को द्योतित करता है।

उगता हुआ सूर्य वेदांती विचारधारा की प्रजापति–विद्या तथा संवत्सर–विद्या के उत्कृष्ट ज्ञान का प्रतीक है।

शिखर के दोनों ओर तरंगित रेखाओं का अंकन छत्तीसगढ की गंगा–महानदी (प्राचीन चित्रोत्पला) का प्रतीकात्मक चित्रण है।

शिखर के निम्नार्ध भाग में बाईं और दाईं ओर अर्धवृत्ताकार रूप में फैली हुई गेहूँ और धान की बालियाँ कृषि को छत्तीसगढवासियों के आर्थिक जीवन का आधार सिद्ध करती हैं तथा उनसे इस क्षेत्र की सभ्यता का ग्राम्य प्रकृति का होना प्रकट होता है।

ये सभी प्रतीक एक बड़े वृत्त से घिरे हुए हैं, जो भूमंडल का चिन्ह है। इस वृत्त में विश्वविद्यालय का नाम नागरी और रोमन वर्णों में लिखा हुआ है, जो बाईं से दाईं ओर बढ़ता हुआ केंद्रीय वृत्त को चारों ओर से घेरे हुए है।

बड़ा वृत्त पंखाकृति के कोनों वाले एक अर्धवृत्ताकार पादपीठ पर आधारित है। इस पादपीठ की अभिरचना हंस की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, जो भारतीय चिंतन में उत्कृष्ट ज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है। इस पर विश्वविद्यालय की आदर्शोक्ति नागरी वर्णों में अभिलिखित है, जिसका चयन ऋग्वेद के अग्निसूक्त से किया गया है।

यह उक्ति है "अग्ने नय सुपथा राये," जिसका अनुवाद इस प्रकार है–

"हे अग्नि ! हमें अच्छे मार्ग से समृद्धि की ओर ले चलो।"

विषय सूची

क्र.	विवरण		पृष्ठ क्र.
1.	प्रवेश के नियम		7–12
2..	पाठ्यक्रम	(अ) सामान्य	13–18
		(ब) स्ववित्तीय	19–21
3.	शुल्क		23–27
4.	छात्रवृत्ति		28
5.	छात्रावास		29–31
6.	ग्रंथालय		32
7.	यू.जी.सी. कोचिंग योजना		33

परिशिष्ट

1. अध्ययनशालाओं के अध्यापकों एवं शोध–विशेषज्ञों की सूची 34–38
2. आवेदन–प्रपत्र आदि

रैगिंग

कानूनी अपराध है
और इसको रोकना
हमारा नैतिक
कर्तव्य है ।

ACADEMIC SCHEDULE
ANNUAL COURSES

शिक्षण सत्र 2010–11 में प्रवेश प्रारंभ होने की तिथि	–	16 जून, 2010 से
Date of admission for the Session 2010-11	–	From 16th June, 2010
वार्षिक परीक्षा 2011 के लिये आवेदन–पत्र भरने की तिथि	–	1 अक्टूबर, 2010 से 30 अक्टूबर, 2010
Submission date of Examination Form for Annual Examination 2011	–	1st October, 2010 to 30th October, 2010
विलम्ब शुल्क से भरने की अंतिम तिथि	–	15 नवम्बर, 2010
Last Date of submission of Examination Forms with Late Fee	–	15th November, 2010
वार्षिक परीक्षा के प्रारंभ होने की तिथि	–	मार्च 2011 के द्वितीय सप्ताह से
Starting of Annual Examination 2011	–	Second Week of March, 2011

SEMESTER COURSES

S.No.	Activity	Semester I/III/V/VII/IX	Semester II/IV/VI/VIII/X
		Date	Date
01.	Admission Process	June 16 to July 15	-
02.	Commencement of the Classes	July 16	January 1
03.	Meeting, Examination Committee	August 1-14	January 15-30
04.	Name of Practical Examiner (External) Should be sent to Heads of respective SOS	September 01-10	February 20-28
05.	Completion of Theory Courses	November 10	April 15
06.	Practical Examination P.G. / U.G.	November 12-22	April 18-30
07.	Preparation Leave	November 23-30	May 1-8
08.	Theory Examination	December 1-24	May 9-31
09.	Semester Break / Declaration of Results	December 25-31	June 1-15

1. प्रवेश के नियम

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय–अध्ययनशालाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नियम

प्रवेश संबंधित अध्ययनशाला–अध्यक्ष के द्वारा छात्रों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नलिखित दिशानिर्देश के अनुसार दिया जाएगा –

(अ) पात्रता

एम.ए. कक्षाओं के लिए किसी स्तानक उपाधि में तथा एम.एस.सी. कक्षाओं के लिए बी.एस.सी. उपाधि में कम से कम द्वितीय श्रेणी (10+2+3 योजनान्तर्गत) होनी चाहिए। पहले से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त छात्रों को स्थान रिक्त रहने पर ही प्रवेश देना संभव होगा। स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। परन्तु आयु सीमा के बन्धन में छात्राओं को 3 वर्ष की छूट रहेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी। एम.फिल., एम.टेक (आप्टो इलेक्ट्रानिक्स एवं लेजर टेक्नालॉजी) तथा शोध उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए आयु सीमा नहीं होगी।

किसी स्नातकोत्तर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो छात्र विश्वविद्यालयीन परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने के कारण दंडित किए गए हों, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिन छात्रों के विरूद्ध गंभीर आपराधिक या अनैतिकता–संबंधी प्रकरण अथवा परीक्षा–अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पुलिस विभाग या न्यायालय में लंबित हो, या जिन छात्रों ने परीक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित किया हो, उन्हें तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जब तक वे उस कक्षा को पास नहीं कर लेते।

पात्रता हेतु अपनी समस्त पूर्ववर्ती परीक्षाओं की अंकसूची की अभिप्रमाणित स्वच्छ फोटो–प्रतियां एवं उपाधि–प्रमाण–पत्र, अस्थायी (Provisional) प्रमाण–पत्र की भी फोटो प्रतियां मूल प्रमाण–पत्रों के साथ जमा करनी होगी जिसमें सेकेण्डरी तथा हायर सेकेण्डरी की अंकसूचियों की फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है। उक्त आवश्यक कागजात प्राप्त होने पर ही पात्रता हेतु निर्धारित फीस जमा करना आवश्यक होगा। छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करके इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों/छात्राओं को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करके संबंधित अध्ययनशालाओं में प्रवेश के पूर्व जमा करना होगा।

विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु :

(1) एकीकृत स्नातक विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए 20 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 22 वर्ष होगी।

(2) त्रिवर्षीय स्नातक विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 35 वर्ष होगी।

(आ) आरक्षण

15% स्थान पात्रता–प्राप्त अजा के छात्रों के लिए, 18% स्थान प्राप्त अजजा के छात्रों के लिए, तथा 14% स्थान प्राप्त अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए तथा 3% स्थान विकलांगों के लिए आरक्षित रहेंगे। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार 3% स्थान स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन वर्गों के छात्र न मिलने पर रिक्त स्थान अन्य सुपात्र छात्रों को दे दिए जाएंगे। इन सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। आरक्षित स्थानों हेतु आवेदन–पत्र देते समय समक्ष अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(इ) चयन–आधार

छात्र–छात्राओं का चयन निम्नानुसार होगा –

(i) इस विश्वविद्यालय के प्रथम श्रेणी वाले छात्र–छात्राएं

(ii) छत्तीसगढ़ के अन्य विश्वविद्यालय के प्रथम श्रेणी के छात्र–छात्राएं

(iii) छत्तीसगढ़ के बाहर के विश्वविद्यालय के प्रथम श्रेणी के छात्र–छात्राएं

(iv) प्रथम श्रेणी के लिए जो क्रम से अन्य गुणानुक्रम

क. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश केवल प्रावीण्य के आधार पर दिया जाएगा। प्रावीण्य सैद्धांतिक पेपरों में कुल अंको के अनुक्रमानुसार निर्धारित होगा।

ख. स्नातक कक्षा प्रथम श्रेणी में पास सभी विद्यार्थी स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की पात्रता रखते हैं, परंतु सीट की उपलब्धता के आधार पर उनके मध्य परस्पर प्रावीण्य उनकी पात्रता के लिए आवश्यक परीक्षाओं के सैद्धांतिक पेपरों में प्राप्त कुल अंकों के अनुक्रमानुसार निर्धारित होगी।

ग. स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश की पात्रता प्रावीण्य के गुणानुक्रम के आधार पर होगी। उनके मध्य परस्पर प्रावीण्य उनके द्वारा उस विषय के सैद्धांतिक पेपरों के कुल प्राप्तांकों के अनुक्रमानुसार निर्धारित होगा, जिस विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं।

टिप्पणी : यदि कोई विद्यार्थी ऐसे विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है, जिसे उसने स्नातक परीक्षा के लिए नहीं चुना था, तो ऐसे विद्यार्थी को प्रवेश तभी दिया जाएगा, जब उपर्युक्तानुसार पात्रता रखने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाद स्थान रिक्त रह जाता है।

घ. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे – एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.टेक. इन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स लेजर टेक्नॉ.,बी.फार्मा.,एम. फार्मा., बी.एड. में प्रवेश राज्य शासन/संबंधित विषय की केंन्द्रीय परिषद् / नियामक संस्थान एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार दिया जाएगा।

ड. उपर्युक्तानुसार प्रावीण्य निर्धारित करते हुए अजा/अजजा/अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी के लिए सैद्धांतिक पेपरों के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत में 5 प्रतिशत तक की शिथिलता दी जाएगी।

च. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए 2006 के पश्चात् स्नातक परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ई) अधिभार

गुणानुक्रम निर्धारित करते समय अधिभार का आशय प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर अधिभार से है। यह अधिभार निम्नानुसार दिया जाएगा, किन्तु एक से अधिक प्रकार का अधिभार नहीं दिया जाएगा।

1.	एन.सी.सी.	
	स्नातक स्तर पर “A” सर्टिफिकेट के आधार पर	2%
	स्नातकोत्तर स्तर पर “B” सर्टिफिकेट के आधार पर	2%
	अथवा	
2.	राज्यस्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	3%
3.	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस के परेड में एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	5%

(4)	एन.एस.एस. में 240 घंटों के प्रमाणित कार्य–अनुभव के आधार पर	3%
(5)	शासकीय महाविद्यालयों में ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण छात्र को स्नातकोत्तर कक्षाओं में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10%
(6)	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों, एवं कर्मचारियों के पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी को	5%
(7)	विकलांगों के प्रवेश के लिए गुणानक्रम	10%

(उ) विशेष प्रोत्साहन

1. जिसने ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल–प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, उसे बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा–सत्र में उस कक्षा में प्रवेश दिया जाए, जिसकी उसे पात्रता हो। परंतु इस प्रकार की सुविधा को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे उपर्युक्त उपलब्धि पुनः आवश्यक होगी।
2. भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ (ए.आई.यू) के द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय तथा लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित खेलकूद प्रतियोगिता, एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर–आंचलिक खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को नियमानुसार इसके द्वारा अंतरिम परीक्षा प्राप्तांकों का निम्नलिखित अधिभार दिया जाएगा–

(क)	गोल्ड मेडल / प्रथन स्थान प्राप्त करने वालों को	20%
(ख)	रजत मेडल / द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को	15%
(ग)	ब्राउंज मेडल / तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को	12%
(घ)	केवल भाग लेने वाले को	10%

अंकों का अधिभार केवल एक आइटम के लिए देय होगा। प्राप्तांकों का अधिभार केवल उन्हीं खिलाड़ियों को देय होगा, जो महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित किए जा सकते है।

<u>**टीप :**</u> शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में प्रवेश के लिए उपर्युक्त अधिभार लागू नहीं होंगे। इसमें अधिभार–गणना विभागीय नियमानुसार होगी।

(उ) प्रवेश हेतु आवेदन

(1) अध्ययनशाला में प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र विवरण–पत्रिका के अंत में संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो छात्र / छात्रा विश्वविद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड करके आवेदन–पत्र भरेंगे, उन्हें आवेदन–पत्र के साथ 250.00 रू. का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा, जो कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम देय होगा, अन्यथा उस आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन–पत्र स्पष्ट एवं सुबोध अक्षरों में समस्त आवश्यक सूचनाओं सहित, छात्र / छात्रा द्वारा स्वतः पूरित करके एवं उसके

माता / पिता / अभिभावक / स्थानीय अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होकर संबंधित अध्ययनशाला के कार्यालय में निर्धारित समयावधि में जमा करना होगा।

(2) विश्वविद्यालय–अध्ययनशालाओं में आवेदन–पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2010 होगी। अध्ययनशाला के अध्यक्ष द्वारा प्रवेश देने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2010 होगी। कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि 14–08–2010 होगी। शोध–छात्रों के प्रवेश के लिए अंतिम तिथि का बंधन नहीं होगा।

(3) आवेदन–पत्र के साथ निम्नांकित मूल प्रलेखों को संलग्न करके प्रेषित करना आवश्यक है :–
जिस विश्वविद्यालय अध्ययनशाला / विभाग / महाविद्यालय में छात्र / छात्रा ने अंतिम नियमित अध्ययन किया हो, उससे प्राप्त स्थानांतरण–प्रमाण–पत्र (Transfer Certificate) प्रवेश–शुल्क जमा करने के लिए संलग्न करना अनिवार्य है। इसके लिए किसी प्रकार की वचनबद्धता स्वीकार नहीं की जाएगी। अपूर्ण आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(4) जो छात्र गत शैक्षणिक सत्र से इस विश्वविद्यालय में किसी अध्ययनशाला में अध्ययनरत है, उनके लिए अंतर–अध्ययनशाला–स्थानांतरण–प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होगी। सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं में प्राप्त अंक–सूचियों की प्रमाणित सत्यप्रतियाँ संलग्न की जाएँ। सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) दोनों के प्राप्तांक दिखाया जाना आवश्यक है। यदि विद्यार्थी ने अमहाविद्यालयीन या भूतपूर्व छात्र के रूप में पिछली परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे किसी प्राचार्य / शासकीय राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त सदाचार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश–तिथि से एक माह के अंदर प्रव्रजन–प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

(6) किसी संस्था या कार्यालय में सेवारत विद्यार्थी को अपने नियोजनकर्ता (Employer) का यह अनुमति–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा अध्ययनशाला में प्रवेश लेने एवं अध्ययन करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

(7) **साक्षात्कार :** प्रवेशेच्छुक छात्रों / छात्राओं को स्वयं के व्यय पर साक्षात्कार हेतु (यदि बुलाया गया हो, तब) संबंधित अध्ययनशाला–अध्यक्ष के समक्ष नियत तिथि को नियत समय पर उपस्थित होना पड़ेगा।

(8) **कुल स्थान :** अध्ययनशाला में सीमित स्थान है एवं प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर ही दिया जाता है।

(9) **विविध :** अध्ययनशाला–अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वे बिना कारण बताए किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश के लिए मना कर दें। इस विषय में कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा।

(10) विद्यार्थी को प्रवेश की सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जाएगी। प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की सूची संबंधित अध्ययनशाला के सूचना–पटल पर लगा दी जाएगी। प्रवेशेच्छुक विद्यार्थियों को स्वयं इसकी जानकारी प्राप्त करनी होगी। इस सूचना में दी गई तिथि तक विश्वविद्यालय–कार्यालय में शुल्क जमा न करने पर प्रवेश की अनुमति निरस्त कर दी जाएगी।

(11) आवेदन–पत्र में उल्लिखित जानकारी बिल्कुल सत्य होनी चाहिए। यदि कोई जानकारी विद्यार्थी द्वारा छिपाई

जाएगी या असत्य प्रस्तुत की जाएगी, तो विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार उसे अध्ययनशाला से अलग भी किया जा सकेगा।

(12) विवरण–पत्रिका में दिए गए किसी भी नियमोपनियम में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को है और इस दशा में विज्ञप्ति प्रसारित सभी आदेश और निर्देश विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होंगे।

विशेष

(1) अध्ययनशालाओं की अन्य कक्षाओं में प्रवेश हेतु भी इन्हीं नियमों का आवश्यकतानुसार अनुसरण किया जा सकता है। एम. फिल. (शारीरिक शिक्षा को छोड़कर) कक्षा में (40%) स्थान सेवारत महाविद्यालयीन/विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए सुरक्षित रहेंगे।

(2) स्नातकोत्तर कक्षा के नियमित या अमहाविद्यालयीन दोनों वर्गों के छात्र–छात्राएँ किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में न तो प्रवेश ले सकेंगे और न ही परीक्षा दे सकेंगे। यह प्रावधान डिप्लोमा इन लैंग्वेजेज एवं सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन के साथ लागू नहीं होगा। पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन के साथ किन्हीं अन्य पाठ्यक्रमों में न तो प्रवेश लेने और न ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। जो छात्र/छात्रा तथ्य को छिपाकर प्रवेश लेगा/लेगी, उसे दंडित करके उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

(ए) नामसूची से नाम–निरस्तीकरण

विद्यार्थियों का नाम नामसूची से निम्नलिखित कारणों से काट दिया जाएगा–

(क) विद्यार्थियों का आचरण अध्ययनशाला में अच्छा न होने पर,

(ख) अध्ययन में उसकी प्रगति संतोषप्रद न होने पर,

(ग) यदि कुलपति उसका नाम काटा जाना उचित समझते हों।

(ऐ) उपस्थिति

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए नियमानुसार विद्यार्थियों को अपनी कक्षा में कम से कम 75% उपस्थिति प्राप्त करनी होगी। जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य हैं, उनमें सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कार्य में अलग–अलग 75% उपस्थिति होनी चाहिए।

(ओ) ब्लड–ग्रुप : विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में प्रवेश के पूर्व छात्र–छात्राओं को ब्लड ग्रुप की जानकारी देना अनिवार्य है।

(औ) विषय–परिवर्तन

यदि कोई विद्यार्थी किसी अध्ययनशाला से अन्य अध्ययनशाला या अन्य विषय में परिवर्तन चाहता हो, तो उसे संबंधित अध्ययनशाला–प्रमुख से लिखित अनुमति प्राप्त करके पूर्व अध्ययनशाला (पुराने विभाग) से अंतरविभागीय स्थानांतरण–प्रमाण–पत्र लेकर वांछित अध्ययनशाला में जमा करना होगा और ऐसा परिवर्तन 14 अगस्त के बाद नहीं किया जाएगा।

(क) निवास

विश्वविद्यालय–अध्ययनशाला में प्रविष्ट विद्यार्थी के लिए (अ) माता, पिता, स्थानीय अभिभावक के साथ (आ) विश्वविद्यालय–छात्रावास (इ) मान्यता प्राप्त छात्रावास या (ई) विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत निवास–स्थान में रहना आवश्यक है।

इस संबंध में विद्यार्थी को अपने स्थानीय निवास–स्थान की एवं ऐसे किसी परिवर्तन की सूचना अपनी अध्ययनशाला के कार्यालय को तीन दिनों के भीतर प्रेषित करना आवश्यक है।

(ख) अन्य जानकारियाँ

(1) **सत्रः** शैक्षणिक सत्र एवं प्रवेश 15–06–2010 से आरंभ होगा।

(2) **अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम**

अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अँग्रेजी होगा।

(3) **परिचय–पत्र**

विश्वविद्यालय–अध्ययनशालाओं के प्रत्येक विद्यार्थी को अपना परिचय–पत्र रखना आवश्यक है। प्रत्येक सभा–सम्मेलन अथवा अध्ययनशाला–कार्यक्रम और कार्य–व्यापार के समय यह पत्र विद्यार्थी के पास होना चाहिए। यह पत्र अध्ययनशाला–प्रमुख से प्राप्त होगा तथा सभी विद्यार्थियों का परिचय–पत्र प्रॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(4) **पाठ्येतर शिक्षण एवं कार्यक्रम**

विद्यार्थी के सर्वतोमुखी विकास के लिए विश्वविद्यालय–अध्ययनशालाओं में कतिपय पाठ्येतर शिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों का प्रबंध है।

(5) **विश्वविद्यालय–अध्ययनशालाओं में अध्यापन**

विश्वविद्यालय–अध्ययनशालाओं में कार्य–अवधि सामान्यतः प्रातः 10.30 से 5.30 बजे तक रहेगी। विशेष परिस्थिति में कुलपति की अनुमति से अध्ययनशाला विशेष की कार्य–अवधि में परिवर्तन हो सकता है। निश्चित कार्य–समय की सूचना संबंधित अध्ययनशाला–अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी, जिसकी जानकारी विद्यार्थी को स्वयं लेनी चाहिए।

(6) **एन.एस.एस.**

विश्वविद्यालय–अध्ययनशाला में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) की इकाई भी कार्यरत है। इसके अंतर्गत 75 छात्र–छात्राओं का चयन किया जाएगा। जिन छात्र–छात्राओं ने राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत दो वर्ष की अवधि में 240 घंटे का सेवा कार्य पूर्ण कर लिया है और विश्वविद्यालय ने जिन्हें इस हेतु निर्दिष्ट प्रमाण–पत्र जारी कर दिया है, उन्हें प्राप्तांक के सहयोग के तीन प्रतिशत अंकों का लाभ देकर प्रवेश लेने हेतु उनकी पात्रता निर्धारित की जाएगी।

(7) **स्वास्थ्य–विभाग**

अध्ययनशाला के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय–परिसर में स्थित स्वास्थ्य–केन्द्र में निःशुल्क चिकित्सा–सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

विश्वविद्यालय में स्थापित विभिन्न शोधपीठ

1. पं. सुंदरलाल शर्मा शोधपीठ

वर्ष 1981 से यह शोधपीठ कार्यरत है। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ी साहित्य एवं ग्रामीण समाज के बारे में अध्ययन एवं अन्वेषण किया जाता रहा है तथा शोधपीठ के माध्यम से पं. शर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को सामने लाया गया। यह मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना शोधपीठ है।

2. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोधपीठ

वर्ष 1995 से स्थापित स्व. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोधपीठ के माध्यम से बख्शी जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के साथ ही हिन्दी साहित्य के विकास में छत्तीसगढ़ अंचल की भूमिका को भी रेखांकित किया जा रहा है।

3. पं. लखनलाल मिश्र (शोध) सृजनपीठ

पं. लखनलाल मिश्र (शोध) सृजनपीठ की स्थापना वर्ष 2005 में की गई है। यह सृजनपीठ देश में अपने आप में एक प्रथम प्रकार का है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर उनके व्यक्तित्व एव कृतित्व पर कार्य कर रहा है। उनके संस्मरण तथा साक्षात्कार को कैसेट लायब्रेरी के अंतर्गत रखा जाएगा। उनसे संबंधित मूल दस्तावेज एवं पत्रों को अभिलेखागार कक्ष में सुरक्षित रखा जावेगा। इस पीठ के माध्यम से न केवल छत्तीसगढ वरन् पूरे देश के राष्ट्रीय आंदोलन एवं सामाजिक राजनैतिक चिंतन पर अन्वेषणात्मक कार्य किए जाएंगे।

इस सृजनपीठ के माध्यम से शोध–पत्रिका का प्रकाशन भी होना है। यहाँ के समृद्ध ग्रंथागार में शोध छात्र–छात्राओं के लिए उपयोगी पुस्तकें रखी हुई हैं, जिससे उन्हें मार्गदर्शन मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक विज्ञान एवं कला विषयों के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण अन्वेषणात्मक केन्द्र है।

3. शुल्क

(क) प्रयोगशाला–शुल्क प्रवेश के आधार पर देय

01.	सभी छात्रों के लिए	–	रु. 250 /– वार्षिक
02.	प्रयोगशाला शुल्क	–	रु. 150 /– वार्षिक
	(Diploma in PMIR & PGC)		
03.	प्रयोगशाााला–शुल्क एम.पी.एड. व बी.पी.एड.	–	रु. 300 /– वार्षिक
04.	प्रयोगशाला–शुल्क बी.लिब. आई.एस–सी.	–	रु. 500 /– प्रति सत्र
05.	प्रयोगशाला–शुल्क एम.लिब. आई.एस–सी.	–	रु. 500 /– प्रति सेमेस्टर
06.	कर्मशाला विकास शुल्क		
(अ)	बी.लिब. आई.एस–सी.	–	रु. 1000 /– प्रति सत्र
(ब)	एम.लिब. आई. एस–सी	–	रु. 1000 /– प्रति सेमेस्टर
(स)	एम.फिल. ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान	–	रु. 2000 /– प्रति सत्र

(ख) प्रवेश के अवसर पर देय अन्य शुल्क

01.	आप्रवासन–शुल्क **(Immigration Fee)** (छत्तीसगढ़ से बाहर के वि.वि. से आए हुए विद्यार्थियों के लिए)	–	रु. 200 /–
02.	वि.वि. नामांकन–शुल्क **(Enrolment Fee)** (यदि नामांकन न हो)	–	रु. 50 /–
03.	प्रवेश शुल्क **(Admission Fee)**	–	रु.100 /–
04	ग्रंथालय सुरक्षा निधि **(Library Caution Money)**	–	रु. 500 /– *
05.	ग्रंथालय वार्षिक शुल्क **(Library Annual Fee)**	–	रु. 100 /–
06.	सम्मिलित निधि **(Amalagamated Fund)**	–	रु. 60 /–
07.	विश्वविद्यालय प्रशासन शुल्क	–	रु. 50 /–
08.	शारीरिक कल्याण खेल समिति–शुल्क **(Physical Welfare Fee/Sports Commitee Fee)**	–	रु. 120 /–
09.	विद्यार्थी सहायता कोष	–	रु. 10 /–
10.	विश्वविद्यालय स्थायी निधि अंशदान	–	रु. 20 /–
11.	परिचय–पत्र–शुल्क **(Identity Card-Fee)**	–	रु. 20 /– *
12.	वार्षिक पत्रिका–शुल्क **(Annual Magazine Fee)**	–	रु. 30 /–

* दो या तीन वर्षों के पाठ्यक्रमों में ये शुल्क एक बार ही प्रारंभ में लिए जाएंगे।

13.	प्रयोगशाला सुरक्षा–निधि **(Laboratory Caution Money)** (जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होती है)	–	रु. 300 /–
14.	व्यायामशाला शुल्क **(Gymnasium Fee)** (केवल बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए)	–	रु. 150 /–
15.	मानवविज्ञान एवं जैविकी अध्ययनशाला के सभी पाठ्यक्रमों के लिए		
	(अ) कम्प्यूटर अध्ययन विकास शुल्क	–	रु. 500 /–
	(ब) विभागीय ग्रंथालय विकास शुल्क (केवल जैविकी–अध्ययनशाला के लिए)	–	रु. 200 /–
16.	शैक्षणिक भ्रमण–शुल्क **(Excursion)**/अनिवार्य क्षेत्र–कार्य अध्ययन–यात्रा शुल्क की जो राशि छात्रों द्वारा जमा की जाएगी, वही राशि विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। (भूगोल/भूविज्ञान/मानवविज्ञान अध्ययनशाला पर यह लागू नहीं होगा।) टीप :– शैक्षणिक भ्रमण शुल्क उन अध्ययनशालाओं के लिए है, जिनके पाठ्यक्रम में अध्ययन–यात्रा का प्रावधान है। यदि वह यात्रा सत्र में संपन्न नहीं हो सकी, शुल्क प्रत्यावर्तित होगा।	–	रु. 400 /–
17.	स्थानांतरण प्रमाण–पत्र शुल्क	–	रु. 25 /–
18.	(A) P.G. Diploma in PGC में Intership के लिए शुल्क	–	रु. 1500/–
	(B) P.G. Diploma in PMIR में Internship के लिए शुल्क	–	रु. 2000/– प्रतिवर्ष
18	(A & B) दोनों शुल्क मनोविज्ञान अध्ययनशाला को इंटर्नशिप प्रोग्राम संचालन हेतु देय		
19.	ग्रंथालय विकास शुल्क	–	रु. 100 /–
20.	छात्र कल्याण शुल्क	–	रु. 25 /–
21.	एम.पी.एड. के छात्रों के लिए		
	(क) प्रयोगशाला सुरक्षा–निधि	–	रु. 300 /–
	(ख) व्यायामशाला–शुल्क	–	रु. 50 /–
	(ग) कम्प्यूटर अध्ययन/विकास–शुल्क	–	रु. 200 /–
22.	छात्र–संघ शुल्क	–	रु. 50 /–
23.	इलेक्ट्रॉनिक अध्ययनशाला के सभी पाठ्यक्रमों के लिए		
	(अ) कम्प्यूटर अध्ययन विकास–शुल्क	–	रु. 500 /– प्रतिवर्ष
	(ब) विभागीय ग्रंथालय विकास–शुल्क	–	रु. 300 /– प्रतिवर्ष
24.	ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के सभी पाठ्यक्रमों के लिए जिरॉक्स शुल्क	–	रु. 500 /– प्रतिवर्ष

(ग) शुल्क–संबंधी अन्य जानकारियाँ

1. डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के छात्रों को केवल अध्ययन–शुल्क, अप्रवासन–शुल्क, विश्वविद्यालय नामांकन–शुल्क, प्रवेश–शुल्क, ग्रंथालय वार्षिक शुल्क देय होंगे। उक्त छात्र नैमित्तिक छात्र माने जाएंगे, जिन्हें नियमित छात्रों को उपलब्ध छात्राधिकार एवं सुविधाएं (ग्रंथालय–सुविधाओं को छोड़कर) प्राप्त नहीं होंगी।
2. शुल्क व अन्य राशि, जो विश्वविद्यालय'कार्यालय में किसी विद्यार्थी द्वारा जमा की जाए, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा उसे प्रमाण स्वरूप संभालकर रखना चाहिए, अन्यथा उसका दायित्व विद्यार्थी पर होगा। प्रवेशार्थी से शुल्क आदि उसी दशा में स्वीकार्य होगा, जब उसे संबंधित अध्ययनशाला–अध्यक्ष द्वारा प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। सुरक्षा–निधि वापस लेते समय संबंधित राशि की रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी, जिससे विदित हो सके कि आवेदक ने उक्त राशि वापस नहीं ली है।
3. विद्यार्थी जिस तिथि को शुल्क जमा करेगा, उसी तिथि को अध्ययनशाला–पंजी में उसका नाम दर्ज होगा। विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय के अध्यादेश में निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। शुल्क तथा अन्य राशियों में परिवर्धन और परिवर्तन करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है एवं जब भी जो निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा लागू किया जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य रूप से मान्य होगा तथा वह सत्र के प्रारंभ से अथवा जिस दिन से घोषित किया जाएगा, तब से समझा जाएगा। विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की तिथि अथवा इस प्रकार की कोई भी आपत्ति इस दिशा में स्वीकार्य नहीं होगी।
4. विश्वविद्यालय कार्यालय में सामान्यतः शुल्क शनिवार को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक तथा शनिवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक लिया जाता है।
5. अध्ययन–शुल्क आदि प्रत्येक मास की प्रथम तिथि अथवा सेमेस्टर के प्रारंभ में ही देय हो जाता है, जो उस मास की अंतिम तिथि तक देना आवश्यक है। तब तक अपना शुल्क जमा नहीं करने पर विद्यार्थी को 10.00 मासिक अर्थदंड देना होगा। अंतिम तिथि को कार्यालय अथवा अध्ययनशाला में अवकाश होने पर शुल्क अगले कार्य दिवस को बिना अर्थदण्ड के दिया जा सकेगा। लगातार दो माह तक शुल्क जमा न करने पर छात्र का प्रवेश निरस्त माना जाएगा। पुनः प्रवेश के लिए अवशिष्ट अध्ययन शुल्क और अर्थदंड के साथ फिर से 100.00 रु. प्रवेश शुल्क देना होगा।
6. ग्रंथालय की पुस्तकें निर्धारित अवधि तक नहीं लौटाने पर प्रति पुस्तक 00.50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा।
7. अर्थदंड की माफ़ी के संबंध में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. सुरक्षा–निधि की वापसी की मांग करते समय राशि जमा करने की मूल रसीद आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा शुल्क वापस न होगा।

(घ) ग्रंथालय–सुरक्षा निधि का प्रत्यार्वतन

(Refund of Library Caution Money)

विद्यार्थी को सत्र के मध्य अथवा सत्रांत में किसी कारण विश्वविद्यालय–अध्ययनशाला–सुरक्षा निधि की वापसी के लिए ग्रंथालय, विभाग–कार्यालय एवं छात्रावास के कार्यालय (छात्रावासी होने पर) से अशेष प्रमाण पत्र प्राप्त करके तथा अपने आवेदन पत्र के साथ उन अशेष प्रमाण–पत्रों को मूल में संलग्न करके संबंधित अध्ययनशाला अध्यक्ष द्वारा कुलसचिव कार्यालय को अग्रेषित करवाना चाहिए। अध्ययनशाला का कार्यालय ही उस आवेदन पत्र को अपनी टिप्पणी के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय को अग्रेषित करेगा। सुरक्षा–निधि की वापसी का कार्य केवल ग्रीष्मावकाश में सम्पन्न होगा। कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् उसकी सूचना दे दी जाएगी। इसलिए विद्यार्थियों को ध्यान रहे कि वे इस संबंध में स्मरण–पत्र आदि प्रेषित न करें। प्रत्येक छात्र/छात्रा को अपनी प्रत्यर्पणीय राशि वापस लेने के लिए अध्ययनशाला छोड़ने के एक वर्ष के भीतर तक आवेदन कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर उक्त राशि अदेय समझी जाएगी।

(ङ) प्रयोगशाला सुरक्षा–निधि का प्रत्यावर्तन

संबंधित अध्ययनशाला–अध्यक्ष से अवशेष प्रमाण–पत्र प्राप्त करके कुलसचिव को आवेदन करने से निधि वापस मिल सकती है। उपकरणों और यंत्रों को तोड़ने पर विद्यार्थियों को अर्थदंड देना होगा, जो अध्ययनशाला–अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा और वह राशि इस निधि से काट ली जाएगी। अन्य नियम वही हैं, जो (ड) में हैं।

(च) विषय–परिवर्तन शुल्क

विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में अंतरविभागीय विषय–परिवर्तन हेतु

(1) स्थानांतरण शुल्क 50.00 रू.

(2) प्रवेश शुल्क 50.00 रू.

(छ) शुल्क–मुक्ति

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित उनके पुत्र–पुत्री, पति–पत्नी को सामान्य पाठ्यक्रम से अध्ययन शुल्क मुक्त शिक्षा की सुविधा है।

नोटः स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत चलने वाले पाठ्यक्रमों में वि.वि. के शिक्षक, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र–पुत्रियों, पत्नी को छूट की सुविधा नहीं होगी।

(ज) छात्रावास के लिए राशि निम्नानुसार जमा करनी होगी

1.	प्रवेश–शुल्क एवं परिचय पत्र	–	रू. 50/– प्रत्येक सत्र
2.	छात्रावास–सुरक्षा–निधि	–	रू. 250/– प्रत्येक सत्र
3.	सम्मिलित निधि	–	रू. 60/– प्रत्येक सत्र
4.	सीट का किराया :–		

एक सीट वाला कमरा	–	रू. 200 / – प्रतिमाह
दो सीट वाला कमरा	–	रू. 150 / – प्रतिछात्र / छात्रा प्रतिमाह
शोध छात्रावास	–	रू. 150 / – प्रतिछात्र / छात्रा प्रतिमाह

(HRA प्राप्तकर्ता छात्र / छात्राओं एवं शोध छात्र / छात्राओं को HRA के बराबर किराया देना होगा)

5.	छात्रावास विकास शुल्क	–	रू. 500 / – प्रति सत्र
	बगीचा तथा खेलकूद (मनोरंजन–स्थल की व्यवस्था हेतु) यह राशि छात्रावास में जमा की जाएगी तथा छात्रों / छात्राओं की सहमति से उक्त छात्रावास में ही व्यय की जाएगी।	–	रू. 200 / – प्रति सत्र
6.	विद्युत एवं जल–आपूर्ति शुल्क	–	रू. 100 / – प्रति माह प्रति छात्र / छात्रा
7.	व्यक्तिगत कूलर की अनुमति पर विद्युत शुल्क	–	रू. 100 / – प्रति माह प्रति छात्र / छात्रा

प्रवेश के बाद छात्रावास संबंधी देय राशि को निर्धारित माह की अंतिम तिथि तक देना होगा। लगातार दो माह तक किराया न जमा करने पर छात्र / छात्राओं को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा। पुनः प्रवेश लेने पर अवशिष्ट किराया और अर्थदंड के साथ 25.00 रू. प्रवेश शुल्क अलग से देना होगा। समस्या–मूलक छात्रों से कुलपति के आदेशानुसार बढ़ा हुआ दण्डात्मक किराया वसूल किया जाएगा। छात्रावास के अधिनायकों (प्रीफेक्टों) को सीट का किराया देय नहीं होगा। यह सुविधा उन्हें केवल एक सत्र के लिए प्राप्त हो सकेगी। अन्य शुल्क अन्य छात्रों के समान देना होगा।

छात्रावास–सुरक्षा–निधि के प्रत्यावर्तन के लिए छात्रावासी को संरक्षक / संरक्षिका के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। अल्प अवधि के लिए स्थान चाहने वाले अतिथि छात्रों को सीट उपलब्ध रहने पर 50.00 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क लेकर प्रवेश दिया जा सकता है।

4. छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति–संबंधी सुविधाएँ

छत्तीसगढ़ एवं केन्द्रीय शासन द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय–अध्ययनशाला में योग्य एवं निर्धन विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क एवं अर्धशुल्क शिक्षा की सुविधा का प्रबंध है। इसके अतिरिक्त यदि दो या अधिक भाई–बहन अध्ययनशाला के शुल्क प्रदाता एवं नियमित विद्यार्थी है, तो उनमें सबसे बड़े को संपूर्ण शुल्क देना होगा। शेष को अर्धशुल्क देना होगा। इस सुविधा के लिए विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपना प्रार्थना–पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करा के आवश्यक प्रमाण–पत्रों सहित कार्यालय में प्रस्तुत कर दें।

शोध–छात्रवृत्तियाँ एवं एम.फिल. छात्रवृत्तियाँ

(केन्द्र व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की सूचना अध्ययनशाला के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।)

पी–एच.डी. के लिए पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के द्वारा रू. 2000/– प्रतिमाह की अनेक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आई.सी.एस.आर. की एवं पोस्ट डॉक्टरल पी–एच.डी. के शोध–कार्य के लिए छात्रवृत्तियाँ यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर., आई.सी.एच.आर.डी.ओ., एटॉमिक एनर्जी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इत्यादि के माध्यम से प्रत्याशियों को संबंधित अध्ययनशाला प्रमुख से जून से अगस्त तक संपर्क साधना होगा। शोध–छात्रवृत्ति का भुगतान अनुदान प्राप्त हो जाने पर ही किया जाएगा। एम. फिल. में विश्वविद्यालय की ओर से रू. 500/– प्रतिमाह की कुल छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा का ध्यान अनिवार्यतः रखा जाना चाहिए, अन्यथा आवेदन अमान्य होगा।

******

5. छात्रावास

(अ) विश्वविद्यालय के पुरूष एवं महिला छात्रावासों में केवल विश्वविद्यालय–अध्ययनशालाओं के छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। डिप्लोमा के छात्र/छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश की पात्रता नहीं है। कोई भी छात्रा लिखित पूर्वानुमित के बाद ही केवल अपने निकट महिला संबंधी को अधिक से अधिक एक दिन तक अपने अतिथि के रूप में ठहरा सकेगी। पुरूष छात्रावास में किसी अतिथि को ठहराना वर्जित है।

(आ) छात्रावास में प्रवेश करने के लिए निर्धारित प्रपत्र भरकर संबंधित छात्रावास के संरक्षक/संरक्षिका के नाम आवेदन करना चाहिए। प्रवेश एक ही शैक्षणिक सत्र के लिए दिया जाता है। अतः प्रत्येक सत्रारंभ में सभी छात्रावासियों (शोधार्थी सहित) को नवीन आवेदन करना होगा। छात्रावास में रहकर पाठ्यक्रम पूर्वार्ध पूर्ण कर चुकने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुशासनहीन एवं समस्यामूलक छात्र–छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के छात्रों/छात्राओं के लिए 18% और अनुसूचित जाति के छात्रों/छात्राओं के लिए 15% तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों/छात्राओं के लिए 14% स्थान सुरक्षित रखे जाएँगे। प्रवेश की अंतिम तिथि तक ऐसे स्थान रिक्त रहने पर अन्य को दिए जा सकेंगे।

(इ) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से उत्तीर्ण छात्रों/छात्राओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। स्थान रिक्त रहने पर छत्तीसगढ़ के अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों/छात्राओं को प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके पश्चात स्थान रिक्त रहने पर अन्य प्रदेशों के छात्रों/छात्राओं को प्रवेश दिया जा सकेगा। रायपुर नगर में रहने वाले विद्यार्थियों को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ई) छात्रावास में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र/छात्रा को अपने निवास–स्थान के प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(उ) छात्रावास–संबंधी नियम

01. छात्र/छात्रा को बल्ब, ताले की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

02. छात्रावास संरक्षक/संरक्षिका की आज्ञा के बिना छात्रावास में अनुपस्थित रहने वाले तथा अवांछित आचरण करने वाले छात्रावासी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उसे छात्रावास से निष्कासित भी किया जा सकता है। निष्कासन के पश्चात् छात्रावास अविलंब खाली करना पड़ेगा, अन्यथा रू. 25/– प्रतिदिन की दर से दंडात्मक किराया देना पड़ेगा।

3. संरक्षक/संरक्षिका की पूर्वानुमति के बिना किसी प्रकार की सभा छात्रावास में आयोजित नहीं की जा सकेगी और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को भाषण आदि के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

4. छात्रावास में किसी भी रूप में रैगिंग अनुशासनहीनता मानी जाएगी और दंडनीय अपराध माना जाएगा तथा रैगिंग में संलग्न छात्र/छात्रा को छात्रावास से निष्कासित किया जाएगा। साथ ही वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

5. विद्युत–सामग्री तथा फर्नीचर की टूट–फूट का और छात्रावास छोड़ते समय इसकी वापसी का उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा पर रहेगा।

6. छात्रों / छात्राओं का यह संयुक्त दायित्व है कि वे छात्रावास में किसी प्रकार की गंदगी न रहने दें और शौचालय, स्नानगृह तथा अन्य स्थानों का प्रयोग करते समय सफाई का विशेष ध्यान रखें। कमरों की सफाई के लिए कर्मचारी नियुक्त है, पर प्रत्येक कमरे की स्वच्छता की जिम्मेदारी उस कमरे में रहने वाले छात्र / छात्रा की होगी।

7. छात्र 8 बजे रात्रि के पश्चात् छात्रावास–भवन में प्रवेशानुमति नहीं पा सकेंगे और न संरक्षक की अनुमति के बिना बाहर जा सकेंगे। छात्राएँ 6.30 बजे सायं के पश्चात् बिना पूर्वानुमति के छात्रावास के बाहर नहीं रह सकेंगी। छात्राओं के लिए निर्धारित समय में परिवर्तन ऋतु के अनुसार संरक्षिका कर सकेंगी।

8. छात्रावास में इलेक्ट्रिक कूकर, हीटर, आयरन आदि का प्रयोग वर्जित है। जिसके पास ऐसा कोई उपकरण होगा, उसे 200.00 रू. अर्थदंड देना पड़ेगा। संरक्षक का भोजन–व्यवस्था–संबंधी निर्णय अनिवार्यतः मानना होगा। व्यक्तिगत रूप से भोजन बनाने की आज्ञा नहीं मिलेगी।

9. संरक्षिका / मेट्रन की अनुमति प्राप्त होने पर छात्रावास में रहने वाली छात्रा से केवल 4 से 6 बजे संध्या में भेंट की जा सकेगी।

10. छात्राओं के स्थानीय अभिभावक का नाम एवं पता देना आवश्यक है। स्थानीय अभिभावक के घर रूकने की अनुमति लिखित रूप से संरक्षिका से प्राप्त करनी होगी। **'स्थानीय'**का अर्थ रायपुर नगर से है।

11. छात्राओं को स्थानीय अभिभावक का परिचय–पत्र छाया–चित्र सहित पिता / माता / अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न परिपत्र में प्रस्तुत करना होगा।

12. छात्रावास में निवास करने वाले विद्यार्थियों को छात्रावास का परिचय पत्र अपने पास रखना अनिवार्य होगा।

13. विभाग में पंजीकृत शोध छात्र–छात्राओं को छात्रावास में रहने की पात्रता साधारणतया अधिकतम तीन वर्षों की होगी परंतु शोध–कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में निर्देशक एवं संबंधित अध्ययनशाला के अध्यक्ष की संस्तुति पर कुलपतिजी की अनुमति से छात्रावास में आवास की अवधि तीन वर्षों के बाद एक वर्ष के लिए दो बार बढ़ाई जा सकेगी। परंतु पांच वर्षों के उपरांत आवास की अवधि में कोई वृद्धि नहीं हो सकेगी।

14. प्रत्येक छात्र / छात्रा को प्रतिमाह शुल्क जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा नियमानुसार विलंब शुल्क देना होगा। परंतु छह माह तक लगातार शुल्क न देने पर छात्र का छात्रावास प्रवेश स्वयमेव निरस्त माना जाएगा और उसे तत्काल छात्रावास छोड़ना पड़ेगा। पुनः प्रवेश लेने हेतु सभी माहों के शुल्क एवं विलंब शुल्क के साथ रू. 100.00 अर्थदंड देना होगा।

15. सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों/छात्राओं को उनकी विश्वविद्यालय परीक्षा समाप्त होने के तीन दिनों के भीतर छात्रावास खाली करना होगा। इससे अधिक समय तक छात्रावास में रहने के लिए उसे संरक्षक की अनुमति लेनी होगी तथा इसके लिए अतिथि शुल्क देना होगा।

16. स्नातकोत्तर कक्षा के विद्यार्थियों को एक विषय में एम.ए./एम.एस–सी. करने तक प्रवेश की पात्रता होगी। एक से अधिक विषयों में एम.एम./एम.एस–सी. करने वाले छात्रों को छात्रावास में रहने की पात्रता नहीं होगी।

नोटः

1. उपर्युक्त नियमों के अतिरिक्त संरक्षक/संरक्षिका द्वारा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियमों का पालन करना छात्रों/छात्राओं के लिए अनिवार्य होगा।
2. छात्रावास में कमरे की उपलब्धता तथा मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, सभी छात्रों/छात्राओं को स्थान उपलब्ध कराना संभव न होगा।

6. ग्रंथालय

विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही ग्रंथालय की स्थापना सन् 1965 में हुई। ग्रंथालय अर्ध कम्प्युटरीकृत है। उपलब्ध पाठ्य सामग्री (पुस्तकें, शोध पत्रिकाएं इत्यादि) एवं प्रदाय की जाने वाली सेवाएँ प्रदेश के अन्य ग्रंथालयों से श्रेष्ठ हैं।

1. **कार्य–समय :**

   अ. कार्य दिवस में – पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपरान्ह 5.30 बजे तक।

   ब. अवकाश के दिनों में – 11 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक ।

2. **सदस्यता हेतु अर्हता :–**

   निम्नांकित में से कोई भी ग्रंथालय का सदस्य बन सकता है :

   (1) इस विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के स्थायी अध्यापक,

   (2) रायपुर नगर के इस विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी,

   (3) विश्वविद्यालय–अध्ययनशालाओं के अध्यापक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी तथा विश्वविद्यालय कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी,

   (4) इस विश्वविद्यालय के पंजीकृत शोध–छात्र/छात्राएँ।

3. **सदस्यता की प्रक्रिया :**

   ग्रंथालय की सदस्यता के लिए वांछित पूर्तियाँ निम्नानुसार हैं :–

   (1) सदस्यता हेतु सभी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।

   (2) अध्यापकों को संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्थायी रूप से सेवारत होने का प्रमाण पत्र देना होगा।

   (3) नियमित छात्रों/छात्राओं को अपने संस्था प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।

   (4) संस्था में आवश्यक शुल्क जमा करने की रसीद दिखानी होगी।

4. **अर्थ–दंड**

   विद्यार्थियों (छात्रों/छात्राओं)/शोध–छात्रों/छात्राओं को निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रतिदिन प्रति पुस्तक (खंड/भाग) 0.50 रू. (पचास पैसे) मात्र अर्थ–दंड देना होगा।

5. **अन्य सुविधाएँ:**

   1. (पाठ्य–पुस्तकें, विश्वकोश, शब्दकोश, गजेटियर, सेंसस, शोध–पत्रिकाएँ, विश्वबैंक प्रकाशन इत्यादि)

   2. फोटोकॉपी

   3. UGC Infonet, e-Library consortia के अन्तर्गत इन्टरनेट एवं 5000 से अधिक on-line शोध पत्रिकाएं।

विश्वविद्यालय में INFLIBNET सुविधा उपलब्ध है, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर की शोध–पत्रिकाओं की सामग्री का लाभ लिया जा सकता है।

7. यू.जी.सी. कोचिंग योजना (निःशुल्क)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक (मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी), गरीबी (बी.पी.एल.) छात्रों एवं समस्त छात्राओं के लिए स्वीकृत निम्नलिखित कोचिंग योजनाओं का क्रियान्वयन पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा किया जा रहा है–

(क) **उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Coaching) योजना –** स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक एवं सामाजिक उन्नयन संबंधी निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु–

1. अकादमिक एवं भाषायी कौशल का विकास ।
2. मूलभूत विषयों की समझ का स्तर बढ़ाना ताकि आगे अकादमिक कार्य के लिए ठोस आधार निर्मित हो सके।
3. उच्चतर अध्ययन हेतु उनके ज्ञान, कौशल, एवं रुझान को सुदृढ़ बनाना ।
4. व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं परामर्श, ऐसे उपर्युक्त छात्रों को जिन्हें क्षमता निर्माण की जरूरत है ।

(ख) **सेवा में प्रवेश (Coaching for Entry into Service) हेतु कोचिंग योजना –** इस योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु –

1. केंद्रीय सेवाओं एवं राज्य सेवाओं के ए, बी, तथा सी ग्रुप के तथा निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) के समकक्ष पदों में उपयोगी रोजगार प्राप्त करने के लिए छात्रों को तैयार करना ।
2. आई.ए.एस., राज्य लोक सेवा, बैंक भर्ती जैसी सेवाओं में चयन के लिए आयोजित विशेष परीक्षा के लिए छात्रों को उन्मुख करना ।
3. विशेष प्रतियोगी परीक्षा की विशिष्ट आवश्यकताओं पर प्रकाश डालना ।

(ग) **नेट (Net) हेतु कोचिंग योजना –** राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) एवं राज्य स्तरीय पात्रता में भाग लेने हेतु तैयार करने के उद्देश्य से इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है ताकि विश्वविद्यालय पद्धति में व्याख्या पद पर चयन हेतु पर्याप्त संख्या में प्रतिभागी उपलब्ध हो सकें ।

कोचिंग की व्यवस्था सभी छात्र–छात्राओं के लिए निःशुल्क है ।

उपर्युक्त तीनों योजनाओं की जानकारी तथा निर्धारित आवेदन–प्रपत्र विश्वविद्यालय के वेब साइट www.prsu.ac.in पर उपलब्ध है । कोचिंग कक्षाएँ आवश्यकतानुसार वर्षभर चलती हैं तथा सभी वर्गों के छात्र–छात्राओं को सम्मिलित किया जाता है । विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों एवं अध्ययनशालाओं को भी जानकारी भेजी गई है वहाँ से भी जानकारी एवं आवेदन–प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है ।

यू.जी.सी. कोचिंग योजना के समन्वयक **प्रो. के. एल. वर्मा** हैं ।

परिशिष्ट – 1

अध्ययनशालाओं के अध्यापकों की सूची

विभिन्न अध्ययनशालाओं में विशिष्ट क्षेत्रों में पी–एच.डी. करने की सुविधा उपलब्ध है। पंजीयन आदि से संबंधित नियम विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 45 में देखे जा सकते हैं। शोध–छात्रों के लिए यह विवरण–पत्रिका प्रवेश हेतु वर्ष भर उपलब्ध रहेगी।

	अध्ययनशाला	शिक्षक / विशेषज्ञ	विशेषीकरण
कला–संकाय			
01.	**साहित्य एवं भाषा**	1. प्रो. चित्तरंजन कर	नामविज्ञान, आधुनिक व्याकरण (हिन्दी,अंग्रेजी) छत्तीसगढ़ी, शैली विज्ञान, संकेत विज्ञान
		2. प्रो. केशरीलाल वर्मा	अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान, शैलीविज्ञान,अनुवाद, राजभाषा
		3. प्रो. व्यास नारायण दुबे	संकालिक बोलीविज्ञान, अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान
		4. प्रो. (श्रीमती) शैल शर्मा	तुलनात्मक अर्थविज्ञान
		5. डॉ. मधुलता केरकेट्टा	हिन्दी कथा–साहित्य
02.	**दर्शन एवं योग**	1. प्रो. भगवंत सिंह	भारतीय दर्शन, तुलनात्मक धर्म, शांकर अद्वैत, तुलनात्मक भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन
		2. प्रो. बी. कामेश्वर राव	तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन, सांख्य दर्शन, अद्वैत वेदांत एवं धर्मदर्शन, समाजदर्शन
		3. श्री जगेलाल गहरे	धर्म दर्शन
03.	**पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान**	1. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा	Bibliometrics
		2. श्री एस. आर. कश्यप	
सामाजिक विज्ञान संकाय			
04.	**अर्थशास्त्र**	1. प्रो. जीवनलाल भारद्वाज	भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नीति, केन्द एवं राज्य सरकारों की वित्त व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र
		2. प्रो. आर. प्रसाद	विकास का अर्थशास्त्र, जनांकिकी, व्यष्ठि अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार
		3. प्रो. अमरकांत पांडेय	जनांकिकी, सांख्यिकी
		4. डॉ. आर. के. ब्रह्मे	लोक वित्त, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार
		5. डॉ. बी.एल. सोनेकर	औद्योगिक अर्थशास्त्र, श्रम अर्थशास्त्र, लोक वित्त

05.	**इतिहास**	1. प्रो (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल	आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास लेखन एवं क्षेत्रीय इतिहास
06.	**प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व**	1. प्रो. लक्ष्मीशंकर निगम	मुद्राशास्त्र, पर्यटन, कला एवं स्थापत्य क्षेत्रीय इतिहास
		2. डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार	पुरालिपि एवं अभिलेख शास्त्र, क्षेत्रीय इतिहास
07.	**भूगोल**	1. प्रो (श्रीमती) जकिया तसनीम खान	नगरीय भूगोल, प्रादेशिक विकास एवं नियोजन
		2. प्रो. (श्रीमती) अनसुइया बघेल	जनसंख्या–भूगोल
		3. प्रो. (श्रीमती) सरला शर्मा	जनसंख्या–भूगोल
		4. डॉ. नरेश कुमार बघमार	संसाधन–भूगोल, रिमोट सेसिंग, जी.आई.एस.
		5. डॉ. (श्रीमती) उमा गोले	कृषि एवं पोषण भूगोल
08.	**मनोविज्ञान**	1. प्रो (श्रीमती) प्रोमिला सिंह	प्रबंधन मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान
		2. प्रो. बी. जी. सिंह	समाज, शिक्षा, प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं नैदानिक मनोविज्ञान
		3. प्रो. बशीर हसन	नैदानिक मनोविज्ञान
		4. डॉ. (श्रीमती) प्रभावती शुक्ला	प्रबंधन मनोविज्ञान
		5. डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव	शिक्षा एवं स्वास्थ्य मनोविज्ञान
		6. डॉ. (श्रीमती) मीता झा	समाज एवं शिक्षा मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान
09.	**समाजशास्त्र**	1. प्रो. प्रमोद कुमार शर्मा	ग्रामीण परिवार एवं विवाह
		2. डॉ. जवाहर लाल तिवारी	Rural Sociology, Peasant Society and Culture, Rural Economic Technological Changes.
		3. डॉ. निस्तर कुजूर	Tribal Studies in Chhattisgarh (Rural Area)
		4. डॉ. हेमलता बोरकर	Studies on Working Women
		5. डॉ. लुकेश्वर सिंह गजपाल	Rural Agriculture Labuor Migration
10.	**क्षेत्रीय अध्ययन**	प्रो. ओम प्रकाश वर्मा	क्षेत्रीय अध्ययन, शिक्षा मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान

विज्ञान–संकाय

11.	सांख्यिकी	1. प्रो. गौरीशंकर	Statistical Quality Control Reliability, Theory of Deterioration
		2. प्रो. एस. के. सिंह	Reliability Theory, Survival Analysis
		3. प्रो. व्यास दुबे	Sample Survey
		4. डॉ. प्रभा रोहतगी	Operational Research
12.	भौतिकी एवं खगोल भौतिकी	1. प्रो. एस. के. पांडेय (वर्तमान कुलपति, पं.र.शु.वि.वि.)	Astronomy, Astrophysics, Galaxies, Variable stars Image Processing
		2. प्रो. आर. सी. अग्रवाल	Experimental Solid State Physics, Solid state lonics, Material Science
		3. डॉ. आर. एन. बघेल	Solid State Physics, Luminiscence & Computational Physics, Nano Technology
		4. डॉ. (श्रीमती) नमीता ब्रह्मे	Experimental Solid State Physics, Luminescence, (Lyo-Luminescence, Thermo-Luminescence, Mechano-Luminescence) & Nanotechnology.
		5. डॉ. डी. पी. बिसेन	Solid state physics, Optoelectronics and Nanotechnology.
		6. डॉ. (श्रीमती) अनुभा सिंह गौर	Experimental Solid State Physics. Luminescence (Mechano, Lyo, Thermo)
		7. श्री नंद कुमार चक्रधारी	Astronomy & Astrophysics
13.	रसायन	1. प्रो (श्रीमती) रमा पांडेय	Organic, Physical-Organic, Analytical Chemistry, QSAR and Drug Desing
		2. प्रो. के. एस. पटेल	Environmental, Analytical Chemistry.
		3. प्रो. कल्लोल कुमार घोष	Physical Chemistry & Physical Organic Chemistry
		4. डॉ. (श्रीमती) एस. ए. भोइते	Physical Chemistry & Nuclear Chemistry
		5. डॉ. मानस कांति देब	Analytical Chemistry Environmental Chemistry.
		6. डॉ. शम्स परवेज	Physical Chemistry, Environmental Science.
		7. डॉ. एम.एल. सतनामी	Inorganic Chemistry
14.	भू–विज्ञान	1. प्रो. एम. डब्ल्यू.वाई.खान	Geochemistry, Applied Sedimentation, Economic Geology, Precambrian Geology.
		2. डॉ. डी. पी. कुइति	Metamorphic Petrology, Mineral Deposits.
		3. डॉ. श्रीकांत कुमार पांडे	Geochemistry, Hydrogelogy, Remote Sensing.
		4. डॉ. निनाद बोधनकर	Hydrogeology, Geomorphology, Remote Sensing
15.	गणित	1. प्रो. बी. के. शर्मा	Analysis
		2. प्रो. एच. के. पाठक	General and Algebraic Topology, Operator Theory, Fuzzy, Set Theory
		3. डॉ. बलवंत सिंह ठाकुर	Analysis

16.	इलेक्ट्रानिक्स	1. डॉ. (श्रीमती) कविता ठाकुर	डिजिटल इलेक्ट्रानिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग (स्पीच एंड इमेज), इन्सट्रूमेन्टेसन एवं कंट्रोल
		2. डॉ. संजय तिवारी	ऑप्टोइलेक्ट्रानिक्स, थिन फिल्म डिस्पले डिवाइस, ऑरगेनिक एल. ई. डी., संचार इलेक्ट्रानिकी
सूचना तकनीक संकाय			
17.	कम्प्यूटर विज्ञान	1. डॉ. संजय कुमार	Computer Networking, Parallel Computing Informatics
		2. विनोद कुमार पटले	Data bases, Numerical Analysis
		3. सुश्री सुषमा जैयसवाल	Digital Image Processing, Computer Architecture, Mobile Communication
टेक्नोलॉजी–संकाय			
18.	फार्मेसी	1. प्रो. शैलेन्द्र सराफ	Pharmacognosy
		2. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ	Pharmaceutics
		3. डॉ. (श्रीमती) प्रीति सुरेश	Pharmaceutics
		4. डॉ. एस. जे. डहरवाल (On lien)	Pharmaceutical Chemistry
		5. डॉ. दीपेन्द्र सिंह	Pharmaceutical Biotechnology
		6. डॉ. विशाल जैन	Pharmacognosy
		7. श्रीमती मंजु सिंह	Pharmaceutical Biotechnology
		8. श्री अंम्बर व्यास	Pharmaceutics
जीवविज्ञान–संकाय			
19.	जैविकी	1. प्रो. विभूति राय	Metabolism & Enzymology
		2. प्रो. ए. के. पति	Animal Physiology, Chronobiology & Animal Behaviour
		3. प्रो. ए. के. गुप्ता	Parasitology and Immunology, Vector-Biology, Developmental Biology
		4. प्रो. एस. सी. नैथानी	Plant Physiology & Seed Biology
		5. प्रो. एस. के. प्रसाद	Endocrinology & Reproductive Physiology
		6. डॉ. (श्रीमती) ए. पोद्दार	Parasitology and Immunobiology
		7. डॉ. (श्रीमती) विजया कोचे	Cell Biology, Plant Tissue Culture
		8. डॉ. आर. के. प्रधान	Biochemistry, Physiology & Chronobiology
		9. डॉ. केशव कांत साहू	Plant Stress Biology & Physiology
		10. डॉ. (श्रीमती) आरती परगनिया	Animal Physiology, Chronobiology
		11. डॉ. (कु.) अमिया तिर्की	Plant Pathology, Ethnobotany
20.	मानवविज्ञान	1. प्रो. (कु.) मिताश्री मित्रा	Human Genomics, Diversity, Medical Biotechnology, Human Growth & Nutrition, Tribal Health.
		2. प्रो. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती	Human Population Genetics. Tribal Culture
		3. प्रो. अरूण कुमार	Ethno Archaeology
		4. डॉ. अशोक प्रधान	Demography & Tribal Development
		5. श्री जितेन्द्र कुमार प्रेमी	Social Anthropology

21. जैव प्रोद्योगिकी	1. प्रो. एस.के. जाधव	Bio-process Engineering
	2. डॉ. आफाक कुरैशी	Plant Biotechnology
	3. डॉ. कमलेश के. शुक्ला	Bio-fertilizer & Muhroom

<u>विधि–संकाय</u>

22. विधि	1. प्रो. सी. एल. पटेल	Constitutional Law & Administrative Law
	2. प्रो. अब्दुल अलीम खान	Crime and Torts
	3. श्री. ए. के. साहू	Constitutional Law & Administrative Law

<u>प्रबंध–संकाय</u>

23. प्रबंध	1. प्रो. आर. पी. दास	Strategic Management, HRD, Organisational Behaviour.
	2. डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव	Marketing, Legal Environment, Principles of Management
	3. डॉ. गोपाल देशमुख	International Business, Marketing and Production
	4. डॉ. संस्कृति जोसेफ	Finance, Marketing
	5. श्री सुशील इंदुरकर	Finance, Q.T.

<u>शारीरिक शिक्षा–संकाय</u>

24. शारीरिक शिक्षा	1. प्रो. (श्रीमती) रीता वेणुगोपाल	Exercise Physiology
	2. डॉ. सी. डी. आगासे	Sports Psychology

. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, रायपुर (छ.ग.)
प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र सत्र 2010–2011

नवीन फाटोग्राफ

कक्षा .... वि. वि. नामांकन क्र. ....

यदि अमहाविद्यालयीन छात्र रहे हों, तो पंजीयन क्र. ....

1. आवेदक का नाम देवनागरी में ....

रोमन बड़े अक्षरों में ....

2. (अ) पिता / पति का नाम ....

(ब) माता का नाम ....

3. राष्ट्रीयता .... 4. धर्म .... जाति ....

5. जन्म तिथि .... 6. जन्म स्थान .... 7. जिला एवं राज्य ....

8. क. स्थायी पता .... दूरभाष / मोबाइल...

ख. स्थानीय पता .... दूरभाष / मोबाइल...

9. अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / सामान्य / विकलांग / वि.वि.कर्मचारी / अल्पसंख्यक...

10. खेलकूद एवं अतिरिक्त क्रियाकलाप ....

11. अन्य विवरण

क. नौकरी संबंधी ....

(यदि नौकरी करते हो तब नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करें।)

ख. परीक्षा में अनुचित साधन संबंधी ....

ग. परीक्षा विभाग या न्यायालय में लंबित प्रकरण संबंधी ....

घ. ब्लड ग्रुप ....

12. अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश का विवरण ....

13. क्या अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं प्रवेश वर्ष के बीच कोई अन्तराल है– हॉ / नहीं

14. शैक्षणिक जीवन का विवरण :

परीक्षा का नाम	सन्	श्रेणी	रोल नं.	वि.वि. / शिक्षण संस्था	विषय
1. हाई स्कूल					
2. हायर सेकेंडरी					
3. बी.ए. / बी.एस.सी. / बी.काम. प्रारंभिक भाग एक पूर्व / भाग दो अंतिम / भाग तीन					
4. एम.ए. / एम.एस–सी. एम.टेक. पूर्व / प्रथम वर्ष अंतिम / द्वितीय वर्ष / तृतीय वर्ष					
5. एम.फिल.					
6. अन्य					

नोटः उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण, परिणाम अघोषित का तथा अनुचित साधनों के उपयोग के लिए कभी दंडित किए गए हों, तो उसका उल्लेख अनिवार्यतः करें अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा प्रवेश–वर्ष के बीच कोई अंतराल हो, तो उसका शपथ–पत्र में स्पष्टीकरण दें।

आवेदक का घोषणा–पत्र

मैं घोषित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी सूचनाएँ सत्य हैं। मैंने विवरण पत्रिका में मुद्रित विश्वविद्यालय नियम उपनियम पढ़ और समझ लिए हैं तथा मैं विश्वास दिलाता/दिलाती हूँ कि उनका परिपालन करता रहूँगा/रहूँगी। संलग्न किए गए पत्रों के कोष्ठक में (सही) का चिन्ह लगाएँ

(i) स्थानांतरण प्रमाण–पत्र ( )
(ii) प्रत्येक वर्ष की अंकसूची की फोटो–कॉपी ( )
प्रमाणित सत्यप्रतियाँ (अनिवार्य)
(iii) सदाचार प्रमाण–पत्र ( )
(iv) प्रवजन प्रमाण–पत्र ( )
(v) अनुमति पत्र (नौकरी पेशा लोगों के लिए) ( )
(vi) खेलकूद में प.र.श.शु.वि. या छ.ग. प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का प्रमाण–पत्र
(vii) पात्रता प्रमाण–पत्र
(viii) अन्तराल प्रमाण–पत्र

दिनांक .... आवेदक के हस्ताक्षर

अभिभावक का घोषणा–पत्र

आवेदक .... को प्रवेश प्रदान करने की कृपा करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा पाल्य/पाल्या विवरण पत्रिका में मुद्रित सभी नियमों का पालन करेगा/करेगी। यदि वह उसमें असफल रहा/रही, तो उसके लिए मैं उत्तरदायी होउँगा/होउँगी।

छात्र से संबंध .... व्यवसाय .... वार्षिक आय ....

स्थायी पता ....

माता/पिता/अभिभावक/स्थानीय अभिभावक का नाम ....

दिनांक .... हस्ताक्षर ....

प्रवेश–शुल्क का विवरण

बुक क्र. .... रसीद क्र. ....

दिनांक .... राशि ....

लिपिक के हस्ताक्षर

दिनांक ....

विभागीय कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने का दिनांक ....

प्रवेश की अनुमति दी जाती है/प्रवेश की संस्तुति की जाती है/प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती।

दिनांक .... **अध्ययनशाला–अध्यक्ष**

(केवल शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के प्रत्याशी इस प्रपत्र को भरें)

शैक्षणिक सत्र 2010–11

1. विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले खेलों के नाम एवं विवरण

खेल का नाम	प्रतियोगिताओं का नाम	संस्था का नाम	वर्ष	उपलब्धि

2. अन्य मान्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने का विवरण

खेल का नाम	प्रतियोगिताओं का नाम	संस्था का नाम	वर्ष	उपलब्धि

3. क. क्या किसी खेल के प्रशिक्षण–शिविरों में भाग लिया है ? हाँ/नहीं

   ख. यदि हाँ, तो नाम का उल्लेख करें ....

4. क्या राष्ट्रीय संस्था के किसी खेल में प्रशिक्षक शिक्षण प्राप्त किया है ? हाँ/नहीं

   क. यदि हाँ, तो खेल का नाम ....

   ख. वर्ष ....

   ग. प्रशिक्षकीय अनुभव ....

5. निर्णायक की अर्हता का विवरण

   खेल का नाम प्रांतीय/राष्ट्रीय संघ का नाम, वर्ष, रिमार्क

6. प्रतियोगिता–आयोजन का अनुभव

खेल का नाम	प्रतियोगिताओं का नाम	अवधि	आयोजकों के नाम

(खेलकूद प्रमाण पत्र संलग्न करें)

7. क. क्या नौकरी करते हैं ?

   ख. यदि हाँ तो, नौकरी का विवरण दें ....

संस्था का नाम	पद का नाम	नौकरी की अवधि	वेतन की राशि

   ग. क्या संस्था द्वारा आवेदन–पत्र अग्रेषित किया गया है ? हाँ/नहीं

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

'

प्रायोजित संस्था के प्रमुख द्वारा प्रेषित घोषणा–पत्र

प्रति,

अध्यक्ष,
शारीरिक शिक्षण–अध्ययनशाला,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।

विषयः श्री / कुमारी / श्रीमती ....
को बी.पी.एड. में प्रवेश हेतु प्रेषण।

महोदय,

श्री / कुमारी / श्रीमती ....
का नाम आपकी अध्ययनशाला में बी.पी.एड. कक्षा में प्रवेश हेतु घोषित किया गया है। प्रार्थी को बी.पी.एड. कक्षा में नियमित विद्यार्थी की हैसियत से प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु इन्हें आवश्यक पूर्णकालिक अवकाश स्वीकृत किया गया है। इन्हें शारीरिक शिक्षण अध्ययनशाला के नियमों का पालन करने तथा समय–सारणी के अनुसार नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होने के आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

भवदीय

संस्था का सील

दिनांक ....

(संस्था–प्रमुख के हस्ताक्षर)

छात्रावास में प्रवेशार्थ आवेदन–पत्र

सत्र 2010–2011

नवीन फाटोग्राफ

1. आवेदक का नाम (देवनागरी में) ....

(रोमन में) ....

2. जन्म–तिथि ....

3. कक्षा और विषय ....

(जिसमें प्रवेश लिया है) ....

4. माता/पिता/अभिभावक का नाम ....

5. संबंध और स्थायी पता ....

फोन नं./मोबाइल नं. ....

6. अनुसूचित जाति/जनजाति/ ....

पिछड़ा वर्ग/अपंग/नौकरी पेशा ....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी सूचनाएँ सत्य हैं और मैं छात्रावास के सभी नियमों का पालन करूँगा/करूँगी।

7. निवास–स्थान का प्रमाणीकरण (दस्तावेज संलग्न करें)

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का प्रवेश हो चुका है प्रवेश शुल्क विवरण बुक क्र. .... रसीद क्र. .... दिनांक .... संबंधित अध्ययनशाला अध्यक्ष के हस्ताक्षर	मैं आवेदक की ओर निकलने वाली देय राशि को देने के लिए तथा यदि मेरे पाल्य द्वारा छात्रावास की सम्पत्ति को क्षति पहुंचती है, तो उसकी पूर्ति के लिए स्वयं को वैधानिक रूप से उत्तरदायी स्वीकार करता/करती हूँ। माता/पिता/स्थानीय अभिभावक

प्रवेश दिया जाता है।

दिनांक ....

संरक्षक
(छात्रावास)

अभिभावक का घोषणा–पत्र

आवेदक / आवेदिका / कुमारी / श्रीमती ....

को छात्रावास में प्रवेश प्रदान करने की कृपा करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा पाल्य / पाल्या विवरण पत्रिका में मुद्रित सभी नियमों का पालन करेगा / करेगी। यदि वह उसमें असफल रहा / रही, तो उसके लिए मैं उत्तरदायी होउँगा।

हस्ताक्षर पिता / पालक ....

नाम ....

व्यवसाय ....

फोन नं. ....मोबाईन नं. ....

पत्र व्यवहार का पूर्ण पता ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर

मैं श्री / श्रीमती .... को अपने पाल्य / पाल्या का स्थानीय अभिभावक नियुक्त करता / करती हूँ तथा उनके निम्न फोटो तथा हस्ताक्षर को प्रमाणित करता / करती हूँ।

हस्ताक्षर स्थानीय अभिभावक ....

नाम ....

पता ....

व्यवसाय ....

फोन नं. ....मोबाईन नं. ....

छात्र / छात्रा से संबंध ....

दिनांक

फोटो
पिता / पालक की

हस्ताक्षर
पिता / पालक

वचन–पत्र

मैं .... पिता/माता ....

कक्षा .... अध्ययनशाला/छात्रावास ....

घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे ज्ञात है कि रैगिंग न केवल अपराध है, बल्कि मानव–अधिकार का हनन भी है। मैं इस प्रकार के किसी कृत्य में शामिल नहीं रहूँगा/रहूँगी। मुझे रैंगिंग के संदर्भ में दी जाने वाली सजा की जानकारी है और यदि मैं रैगिंग की घटना में शामिल पाया जाता/पाई जाती हूं, तो मैं दण्ड का भी भागी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक .... **छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर**

मैं घोषण करता करता/करती हूँ कि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी भी कृत्य में शामिल नहीं होगा/होगी। मुझे रैगैग में दी जाने वाली सजाएँ ज्ञात है। यदि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी भी प्रकरण में लिप्त पाया जाता/पाई जाती है, तो उसको दी जाने वाली सजा से मैं सहमत रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक .... **पिता/माता/अभिभावक के हस्ताक्षर**

टीपः यदि अभिभावक के हस्ताक्षर सही नहीं पाए गए, तो छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जिसके लिए छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होगा/होगी।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय–अध्ययनशाला
राष्ट्रीय सेवा योजना
प्रवेश हेतु प्रार्थना–पत्र (ऐच्छिक)
सत्र 2010–2011

प्रार्थी का विवरण

1. पूरा नाम देवनागरी में ....

2. जन्म तिथि ....

3. किस कक्षा में प्रवेश लिया है ....

4. स्थायी पता ....

6. विवाहित / अविवाहित ....

6. (अ) पिता अथवा अभिभावक का नाम ....

(ब) माता का नाम ....

व स्थाई पता ....

(स) रक्त समूह ....

7. अ.जा. / अ.ज.जा. / पिछड़ा वर्ग ....

8. धर्म ....

9. यदि पिछले वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्य रहे हों, ...

तो उसका विवरण ....

10. विभिन्न संगठनों के नेतृत्व का अनुभव ....

या संक्षिप्त विवरण ....

11. विभिन्न क्षेत्रों तथा विषयों में रूचि ....

का संक्षिप्त परिचय ....

(जैसे– सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक एवं क्रीड़ा संबंधित अभिरूचि आदि)

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त सभी सूचनाएँ सत्य हैं और राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी नियमों एवं उपनियमों का पालन करूँगा / करूँगी।

(अग्रेषणकर्ता अध्ययनशाला–अध्यक्ष के हस्ताक्षर) | आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक .... | दिनांक ....

रैगिंग क्या है ?

रैगिंग के अंतर्गत–

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया–कलापों में संलग्न होना, जिससे नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो, अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्रों से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो, अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो।

छत्तीसगढ़ राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम अधिनियम, 2002

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1, 1995), अनुच्छेद 2(29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है :–

किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव–मर्यादा के खिलाफ हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए या डरा–धमकाकर गलत ढंग से रोककर गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुँचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दबाव का भय दिखा कर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

रैगिंग का स्वरूप :–

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पाई जाती है :–

स्पष्ट आदेश

* सीनियर छात्रों को "सर" कहने के लिए
* सामूहिक कवायद करने के लिए
* सीनियरों के क्लास–नोट्स उतारने के लिए
* अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए
* सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए
* अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए
* नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आघात पहुॅंचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए
* शराब, उबलती हुइ चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना
* कामुक संकेतार्थ वाले कार्य–समलैंगिक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना
* ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा, या मृत्यु तक हो सकती है।
* नंगा करना, चुंबन लेना, आदि
* अन्य अश्लीलताएँ करना।

उपर्युक्त ये यह विदित होता है कि प्रथम पाँच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त हैं।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिए जाने वाले दंड

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा–परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना।
8. आर्थिक दण्ड रू. 25000.00 तक।